भारत सरकार

इस्पात मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1757

01 अगस्त, 2022 को उत्तर के लिए

इस्पात क्षेत्र में निवेश

1757. श्रीमती शांता क्षत्री:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस्पात क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने और सुगम बनाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान इसके लिए क्या उपाय किए गए हैं और वर्ष-वार और राज्य-वार उनकी उपलब्धियां क्या हैं; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री (श्री फग्गन सिंह कुलस्ते)

(क) से (ग): इस्पात के एक नियंत्रण मुक्त क्षेत्र होने के कारण, सरकार इस क्षेत्र के विकास के लिए समर्थकारी वातावरण सृजित करके एक सुविधाप्रदाता के रूप में कार्य करती है। राष्ट्रीय इस्पात नीति, 2017 का लक्ष्य इस्पात उत्पादकों को नीतिगत सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करके इस्पात उत्पादन में 'आत्मनिर्भरता' हासिल करने के लिए वातावरण प्रदान करना है। इसके अलावा, की गई कार्रवाई में निम्नलिखित शामिल हैं:-

i. मंत्रालय में एक परियोजना विकास प्रकोष्ठ (पीडीसी) की स्थापना की गई है जो नए निवेशों को सुगम बनाने के लिए परियोजनाओं की पहचान करने, पाइपलाइन परियोजनाओं का मूल्यांकन करने और उनके कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए आवश्यक कदम उठाने के कार्य मे संलग्न हैं।

ii. पूंजी निवेशों को आकर्षित करके घरेलू उपयोग और निर्यात के लिए देश में विशेष इस्पात के विनिर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए 6,322 करोड़ रूपये के परिव्यय के साथ विशेष इस्पात के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को अधिसूचित करना।

iii. भारत में इस्पात क्षेत्र की सुविज्ञता को उजागर करने और भारतीय इस्पात क्षेत्र में निवेश के बहुविध अवसरों और व्यापारिक संभावनाओं को प्रदर्शित करने के लिए हाल ही में दुबई में

आयोजित वर्ल्ड एक्स्पो जैसे कार्यक्रमों में सहयोगिता, जापान, कोरिया, रूस के घरेलू इस्पात उपयोगकर्ताओं के साथ मंत्रालयीन प्रतिनिधिमंडल की चर्चा।

iv. देश में इस्पात के उपयोग, समग्र माँग और इस्पात क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए रेलवे, रक्षा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, आवासन, नागर विमानन, सड़क परिवहन और राजमार्ग, कृषि और ग्रामीण विकास क्षेत्रों सहित क्षमतावान प्रयोक्ताओं के साथ और अधिक सहभागिता से 'मेक इन इंडिया' पहल और पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान।

v. भारतीय इस्पात क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने के लिए कतिपय इस्पात उत्पादों पर पाटनरोधी शुल्क (एडीडी), प्रतिकारी शुल्क (सीवीडी) जैसे व्यापार संबंधी उपचारात्मक उपायों के अंशशोधन (कैलिब्रेशन) के साथ इस्पात उत्पादों एवं कच्चे माल पर मूल सीमा शुल्क में समायोजन।

भारत विश्व में कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। विगत तीन वर्षों के लिए उत्पादन का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

कच्चा इस्पात : राज्य वार उत्पादन

('000 टी)

राज्य	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**
अरूणाचल प्रदेश	29	0	69
असम	67	59	108
बिहार	540	465	529
झारखण्ड	17209	15549	17094
मेघालय	92	37	56
ओडिशा	20253	21432	23241
त्रिपुरा	12	7	17
पश्चिम बंगाल	7764	7076	8836
छत्तीसगढ़	13534	13183	14900
दादरा और नगर हवेली	285	145	253
दमन और दीव	46	40	46
गोवा	423	400	407
गुजरात	8680	8403	9189
मध्य प्रदेश	438	369	569
महाराष्ट्र	8260	7925	11371
दिल्ली	12	10	5
हरियाणा	596	731	941

हिमाचल प्रदेश	864	766	1265
जम्मू और कश्मीर	114	118	146
पंजाब	3310	2917	3663
राजस्थान	749	589	621
उत्तर प्रदेश	1198	1005	1197
उत्तराखंड	1077	950	991
आन्ध्र प्रदेश	6539	5898	7096
कर्नाटक	12875	11688	13045
केरल	304	253	325
पुदुचेरी	210	179	215
तमिल नाडु	2505	2159	2633
तेलंगाना	1154	1192	1464
कुल	**109137**	**103545**	**120294**
स्रोत : संयुक्त संयंत्र समिति (जेपीसी)			

******